संख्या – 15/औ०–15–10/08 / स्वा०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

श्री मनोज कुमार तत्कालीन अनुज्ञापन प्राधिकारी, पूर्णियॉ सम्प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी नालन्दा को रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के गठित धावादल के द्वारा दिनांक – 17.01.2008 को परिवादी श्री चन्द्रकांत दास से 5000/– (पॉच हजार रूपये) रू0 रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या – 006/2008 दिनांक – 18.01.2008 धारा – 7/13(2) –सह– पठित धारा – 13(1)(डी0) भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज किया गया।

उपर्युक्त आरापों के लिए श्री मनोज कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या – 524(15) दिनांक – 19.03.2008 द्वारा निलंबित किया गया एवं कारागार से छूटने के बाद विभागीय अधिसूचना संख्या – 1361(15) दिनांक – 04.07.2008 के द्वारा श्री मनोज कुमार को निलंबन मुक्त कर दिया गया। निगरानी थाना कांड संख्या – 006/08 दिनांक – 18.01.2008 के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु रिश्वत लेने जैसे गंभीर कदाचार के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या – 1367(15) दिनांक – 07.07.2008 के द्वारा पुनः श्री कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या – 1765(15) दिनांक – 20.08.2008 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में इनके विरूद्ध लगाये गए आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या – 1836(15) दिनांक – 08.09.2009 द्वारा श्री कुमार को इस शर्त पर दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया कि यह आदेश निगरानी विभाग के अंतिम फलाफल/कोर्ट आदेश से प्रभावित होगा एवं अलग से इसकी समीक्षा कर कार्रवाई की जा सकेगी। तदनुसार इनको निलंबन से मुक्त करते हुए मुख्यालय में पदस्थापित किया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या – 2308(15) दिनांक – 04.11.2009 द्वारा इन्हें नालंदा जिला में अनुज्ञापन प्राधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया।

रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए कर्मियों के मामलों के समय–समय पर उच्चस्तरीय समीक्षा के क्रम में श्री मनोज कुमार तत्कालीन अनुज्ञापन प्राधिकारी, पूर्णियां सम्प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी, नालंदा के निगरानी काण्ड संख्या – 006/08 दिनांक – 18.01.08 के मामले की पुनः समीक्षा की गयी एवं तत्कालीन विभागीय स्वास्थ्य मंत्री (मुख्यमंत्री) के

आदेशोपरांत विभागीय पत्रांक – 465(15) दिनांक – 20.05.2014 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। श्री कुमार से प्राप्त कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं पाया गया। विधि विभाग ने भी समीक्षा में स्पष्ट किया है कि अनुसंधान के क्रम में रिश्वत लेने के आरोप को सत्य पाया गया था तथा श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति भी दी गई थी अतः श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया गया तथा उन्हें सेवा से बर्खास्त करने पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के अनुमोदनोपरांत सी0 सी0 ए0 नियम – 2005 के भाग viii नियम – 28(i)(iv) ख के दण्ड भाग V नियम 14(ix) के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

श्री मनोज कुमार के विरूद्ध रिश्वत प्राप्त करने एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने का आरोप प्रमाणित है। प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक – 1490/लो0 से0 आ0 दिनांक – 31.08.2015 द्वारा आयोग ने असहमति व्यक्त किया है। परन्तु उक्त से असहमत होते हुए अपने कर्तव्यों के पालन हेतु रिश्वत लेने जैसे जधन्य अपराध का दोषी पाते हुए जो सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम – 3 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अध्ययाय – 3 के नियम – 7 के प्रतिकूल आचरण होने के कारण श्री कुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी दण्ड आरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित आरोपो के आधार पर श्री मनोज कुमार तत्कालीन अनुज्ञापन प्राधिकारी पूर्णियॉ सम्प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी, नालंदा को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु रिश्वत लेने जैसे जधन्य अपराध एवं कदाचार में दोषी पाते हुए सरकारी सेवा से बर्खास्त किए जाने के सरकार के निर्णय पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

अतः श्री मनोज कुमार तत्कालीन अनुज्ञापन प्राधिकारी पूर्णियॉ सम्प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी, नालंदा को आदेश निर्गत करने की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री मनोज कुमार तत्कालीन अनुज्ञापन प्राधिकारी पूर्णियॉ सम्प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी, नालंदा एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को निबंधित डाक से भेज दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक – 395(15) /स्वा0, पटना, दिनांक – 28/3/16

प्रतिलिपि – उप सचिव (मुद्रण) वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना /जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – श्री मनोज कुमार, तत्कालीन अनुज्ञापन प्राधिकारी पूर्णियॉ सम्प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक – 1490/लो0 से0 आ0 दिनांक – 31.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव/माननीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,9,10,15 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेव साईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/3

सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना